कैदियों का मताधिकार सम्बन्धी परामर्श पत्र प्रकाशित

सरकार ने आज (९ फरवरी २००९) कैदियों तथा अभियोग अप्रमाणित हिरासत मे रहे व्यक्तियों का मताधिकार निषेध सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था मे छुट देने का नीतिगत विकल्पों मे जनता के दृष्टीकोण जानने के लिए कैदियों का मताधिकार सम्बन्धी परामर्श पत्र प्रकाशित किया है। परामर्श म्याद २३ मार्च २००९ मे अन्त्य होगा।

उच्च न्यायलय ने ३ न्यायिक पुनरावलोकन सम्बन्ध मे गत ८ दिसम्बर २००८ मे अपना फैसला किया। विधान परिषद् अध्यादेश अनुसार कैदियों को मतदाता के रुपमे दर्ता होने और मतदान करना बन्देज जो हालका व्यवस्था है इसको न्यायपालिका ने गैरसंवैधानिक मान लिया है। हिरासत मे रखे गए पर अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ व्यक्तिओं के लिए मतदान के दिन मे मतदान करने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए, ये भी न्यायलय का मान्यता है। सो फैसला के आधार मे अब प्रशाशन को सो बन्देजों मे छुट देने के लिए नीतिगत विकल्पों के अवलम्बन करना और कैदी तथा अभियोग अप्रमाणित बन्दीओं के लिए मताधिकार प्रयोग के उचित व्यावहारिक व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है।

परामर्श पत्र मे कैदियों को मतदाता के रुप मे दर्ता होने के लिए आवेदन देना अयोग्य मानने हाल का प्रावधान हटाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है।

कैदियों को मतदान करना न पाने का हाल के बन्देज मे छुट देने का सम्बन्ध मे सरकार ने निम्न नीतिगत विकल्पों का प्रस्ताव किया है :

(क) प्रथम विकल्प मे, हाल विध्यमान व्व्यास्था मे निम्न तरहका व्यक्तिओं पर लगे हुए मताधिकार बन्देज को हटाना :
(१) मृत्युद्ण्ड अथवा कैद की सजा पाए हुए और सो सजा (अथवा वैकल्पिक सजा) नहीं काट रहा वा माफी किया गया अथवा
(२) वो जो कैद की सजा काट रहा हो।

कैदियों को मतदान करना देने से उन लोगों का नागरिक सोचका विकास होकर समाज मे अच्छी तरह से घुलमिल होने मे सहयोग होगा। पर ये भि मान्यताएं है कि अपराधिक गतिविधिओं का रोकने के लिए, नागरिक कर्तव्य बढाने और कानूनी राज्य के सम्मान के खातिर भी गंभीर किसिम के अपराधीओं को मतदान करना देना बन्देज होना चाहिए।

(ख) दुसरा विकल्प मे, लम्बा समय के कैद सजा काट रहा व्यक्तिओं को मताधिकार बन्देज करना (जैसे की १० बर्ष वा इससे ज्यादा सजा)। इस व्यवस्था से विधान के मूल मर्म के सुरक्षा करते हुए कम गंभीर किसिम के अपराधिओं को मतदान करने का अधिकार का प्रत्याभूति होगा। यहां सजा का लम्बाई गंभीर अपराध वा कम गंभीर अपराध आंकने के लिए आधार मान गया है। पर ये भी टिप्पणी है की सजा के लम्बाई के आधार मे अपराध के गंभीरता को मापन करना मुमकिन नहीं है।

(ग) तिसरा विकल्प मे, लम्बा समय के कैद सजा काट रहा व्यक्तिओं का मताधिकार बन्देज करना (जैसे की १० बर्ष वा इससे ज्यादा) पर पिछला बांकी साल मे मतदान करना देना (जैसे की पिछला ५ साल मे)। सजा के अन्तिम समय पर कैदियों को मतदान करना देने से उन लोगों मे नागरिक सोच का विकास होने का साथ समाज मे एकीकृत और पुनर्स्थापित होने मे सहयोग हो सकता है। पर ये विकल्प भी सजा के लम्बाई मे आधारित है और ये तरीका मतदान अयोग्यता के सिमा निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है या नहीं यह भी शंका है।

कैदी तथा अभियोग अप्रमाणित बन्दीओं को मताधिकार प्रयोग के खातिर प्रस्तावित व्यावहारिक व्यवस्था को भी सरकार ने परामर्श पत्र मे समावेश की है। जैसे की : मतदान योग्य कैदियों का दर्ता किया हुआ पता, उम्मेदवारों का प्रचार प्रसार तथा मत डालने और मत गणना करने का व्यवस्था आदि।

परामर्श पत्र जिल्ला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा संवैधानिक तथा मुख्यभूमि मामिला विभाग के वेबसाइट www.cmab.gov.hk से डाउनलोड किया जा सकता है।

जनता अपना दृष्टीकोण हुलाक से (Team 2, Constitutional and Mainland Affairs Bureau, Room 356, East Wing, Central Government Offices, Lower Albert Road, Hong Kong), फैक्स से (2840 1976) वा ईमेल से (pvr_consultation@cmab.gov.hk) २३ मार्च २००९ तक दे सकते हैं।

सोमवार, ९ फरवरी २००९